

कार्यालय मध्यस्थ अधिकारी एवं संभागीय आयुक्त, जयपुर।
प्रार्थना पत्र संख्या:-6/17 (आरसीएमएस नं. 2017/00066)

1. कानाराम पुत्र श्री कालूराम,
2. छीतर पुत्र श्री कालूराम,
3. नानूराम पुत्र लखूराम,
4. सूरज पुत्र लखूराम,
5. हणमान पुत्र लखूराम,
6. मुरली पुत्र लखूराम समस्त जाति जाट निवासी ढाणी सामोंता वाली वार्ड नम्बर 7, रींगस, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर, राजस्थान।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. भारत संघ जरिये रेल मंत्रालय, रेलवे भवन, नई दिल्ली।
2. चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर विशेष रेल परियोजना, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कोरीडोर, जयपुर।
3. निदेशक, डेडिकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लि, पांचवा तल, प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110001
4. भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

—अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक: 08.05.2019

प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 20(एफ) (6) रेलवे अधिनियम 1989 विरुद्ध अभिनिर्णय दिनांक 26.12.2016 पेश किया गया।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 1476, 1482, 1483, 1484, 1914, 1967, 1974 व 1975 की कुल 1.6202 हैक्टर भूमि तन ग्राम रींगस पटवार हल्का रींगस, तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर को अवाप्त किया गया है जिसमें प्रार्थी संख्या 1 व 2 कानाराम व छीतर का 1/2 हिस्सा व प्रार्थी संख्या 3 लगायत 6 का 1/2 हिस्सा है तथा इसी अनुसार यह भूमि इनके खातेदारी अधिकार से कब्जे व काश्त की है तथा इस आवप्तशुदा भूमि के दूसरी दिशा में प्रार्थीगण की शेष बची भूमि है जिसमें अवागमन व सिंचाई हेतु अण्डरपास एवं रास्ता पाईप लाईन के लिये निवेदन किया गया था, साथ ही यह भूमि शहरी क्षेत्र के निकट व आम सड़क पर स्थित हैं। उन्होने आगे कथन किया कि प्रार्थीगण की अवाप्त की जा रही भूमि में आंशिक रूप से जो प्रार्थी का पक्का मकान बना हुआ है उसे क्षति पहुँच रही है जिस बाबत भूमि आवप्ति अधिकारी ने कोइ क्षतिपूर्ति राशि प्रार्थीगण को नही दिलवाई जो विधि विरुद्ध है तथा इस आंशिक क्षति के कारण प्रार्थीगण का सम्पूर्ण मकान भी क्षतिग्रस्त हो रहा है इस कारण प्रार्थीगण सम्पूर्ण मकान के क्षतिपूर्ति राशि पाने के अधिकारी है।

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

(2)

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने कथन किया है कि उक्त आवप्तशुदा प्रार्थीगण के भूमि की प्रचलित बाजार दर से कीमत लगभग 1,82,00,000/-रूपये होती है, इस भूमि में काफी संख्या में लगभग 30 पेड़ लगे हुये है जो लगभग 20-25 साल के है जिनकी कीमत लगभग 3,00,000/- रूपये है, इसके अतिरिक्त इसमें प्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्के मकानात 180 वर्गमीटर में बने हुये है जिनकी अनुमानित कीमत 15,00,000/-रूपये है तथा प्रार्थी संख्या 3 लगायत 6 के मकानात भी 180 वर्गमीटर में बने हुये है जिनकी कीमत भी लगभग 15,00,000/-रूपये है इस भूमि में एक कुआँ है जिसकी अनुमानित कीमत 7,00,000/-रूपये है इसके अतिरिक्त अवाप्ति के कारण प्रार्थीगण को परिवर्तन करने एवं बेदखली का नुकसान करीब 10,00,000/-रूपये व मानसिक क्षति के 10,00,000/-रूपये अर्थात कुल 2,42,00,000/-रूपये बतौर क्षतिपूर्ति राशि के प्राप्त करने के अधिकारी है एवं नवीन अधिनियम 2013 के अनुसार भी क्षतिपूर्ति एवं राजकीय सेवा में नियुक्ति पाने के अधिकारी है लेकिन भूमि अवाप्ति अधिकारी ने मुआवजा राशि का आंकलन करते समय उक्त सभी बातों को कोई ध्यान नहीं रखा है तथा भूमि का मुआवजा सिंचित भूमि व मुख्य सड़क के पास के हिसाब से 28,12,329/-रूपये प्रति हैक्टर के हिसाब से दिलाया जाना चाहिये था, जो नहीं दिलाया गया है, साथ ही इस भूमि में जो आवासीय मकान 180 वर्गमीटर में बने हुये है, पेड़ों का नुकसान, बेदखली के कारण परिवर्तन से नुकसान व मानसिक क्षति आदि के मद में कोई मुआवजा नहीं दिलाया है जो भी प्रार्थीगण प्राप्त करने के अधिकारी है, प्रार्थीगण ने भूमि अवाप्ति अधिकारी के समक्ष अपनी यह सब आपत्तियों व निवेदन व प्रमाण प्रस्तुत किये थे परन्तु भूमि अवाप्ति अधिकारी ने इन सब बातों पर कोई गौर न करके बहुत कम मुआवजा राशि का निर्धारण किया, जो गलत है। अतः प्रार्थीगण को प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण की भूमि का मुआवजा प्रार्थीगण को उपरोक्तानुसार तय कर दिलाया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि प्रार्थी ने न्यायालय श्रीमान् के समक्ष आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 20(एफ)(6) रेलवे अधिनियम 1989 विरुद्ध अभिनिर्णय दिनांक 26.12.2006 प्रस्तुत किया है जबकि रेलवे अधिनियम के उक्त धारा निम्न प्रकार है कि:-

"If the amount determined by the competent authority under sub-section (1) or as the case may be sub-section (3) is not acceptable to either of the parties, the amount shall, on an application by either of the parties, be determined by the arbitrator to be appointed by the Central Government in such manner as may be prescribed."

अधिवक्ता अप्रार्थी ने कथन किया है कि प्रार्थीगण ने आवेदन पत्र गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया है एवं प्रार्थीगण स्वच्छ हाथों से न्यायालय

P.T.O.
संभागीय आयुक्त
जयपुर

(3)

श्रीमान् के समक्ष नहीं आये हैं, प्रार्थीगण ने मुआवजा राशि अप्रार्थीगण से पूर्व में ही जरिये चैक प्राप्त की जा चुकी है, इस प्रकार जब प्रार्थीगण ने निर्धारित रकम स्वीकार कर चैक प्राप्त कर लिया है एवं निर्धारित राशि का स्वीकार ही कर लिया है तो अब कोई आरबीट्रेबल डिस्प्यूट शेष नहीं रहता है। इस कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सरसरी तौर पर खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य होने से खारिज फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा धारा का.आ. 44 20ए की अधिसूचना दिनांक 04.02.2015 से तीन वर्ष में किये गये विक्रय विलेखों के औसत का 50 प्रतिशत का अधिकतम मूल्य एवं डी.एल.सी.दरों का विश्लेषण कर भूमि अधिग्रहण पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन अधिनियम 2013 के आधार पर मुआवजे का निर्धारण किया गया है जिसकी मुआवजा राशि प्रार्थीगण द्वारा जरिये चैक प्राप्त भी कर लिया जा चुका है, ऐसे में जब प्रार्थीगण द्वारा अपनी सहमति से मुआवजा राशि का भगुतान जरिये चैक प्राप्त ही कर लिये गया है तो फिर उन्हे मुआवजे राशि निर्धारण के सम्बन्ध में किसी प्रकार के उज्रात करने के अधिकार कानूनन प्रदत्त नहीं होते हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आरबीट्रेशन कारण खारिज किया जाता है।

(के०सी०वर्मा)

आरबीट्रेटर

संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 08.05.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर